न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 428/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
श्रीमती ढगली पत्नी हरीराम जाट निवासी– जसनाथपुरा थोब, तहसील ओसियॉ जोधपुर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ओसियॉ, जोधपुर। 2. धन्नाराम पुत्र लाभूराम सुथार निवासी– जसनाथपुरा थोब, तहसील ओसियॉ जोधपुर। 3. श्रीमती ओम पत्नि गिरधारीराम सुथार निवासी– जसनाथपुरा थोब, तहसील ओसियॉ जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध दिनांक 1.8.2022 को पारित निर्णय जो उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ के द्वारा मुदकमा संख्या 2022/76 अनवान सरकार बनाम दीपाराम वगैराह में पारित किया।

उपस्थितिः–

1– श्री सुगनमल परिहार, श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से।
3– श्री फौजाराम खोथ, शंकर सिंह, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 व 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक सितम्बर,2022

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार ओसियॉ के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86, राज0 भू अभिलेख नियम 1957 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम जसनाथपुरा थोब तहसील ओसियॉ के ख0सं0 850 एवं 852 में चल रहे रास्ते को स्थाई रूप से राजस्व रेकर्ड में अंकन करने हेतु निवेदन किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 01.8.22/2.8.022 के द्वारा स्वीकार करते हुए उक्त खसरान भूमि में से चल रहे कदीमी रास्ते को खातेदार की खातेदारी में रखते हुए गै0मु0 रास्ता दर्ज करने के अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जिसे व्यथित होकर अपीलार्थी के द्वारा यह अपील न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत की गई है।

पक्षकारो के अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांटस ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी व तथ्यात्मक भूल की है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 131 व 136 राज0 भू राजस्व अधिनिमय के प्रावधानों व राज्य सरकार के परिपत्र का बिल्कुल गलत अर्थ निकाला है। अपीलार्थी की खसरा संख्या 852 ग्राम जसनाथपुरा में से कभी कोई रास्ता कभी भी नहीं चलता था और न ही रास्ता के कोई अलामात है। राजस्व विभाग के द्वारा मौके के विपरित प्रस्ताव भेजा जिसको अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा स्वीकृत कर अपीलार्थी की

भूमि में रास्ता स्थापित करने का आदेश दे दिया गया। राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 में किसी खातेदारी की भूमि में रास्ता दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है बल्कि रास्ते का प्रावधान धारा 251–ए राज0 काश्तकारी अधिनियम में है। उपखण्ड अधिकारी के द्वारा कानून के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त करने योग्य है।

वकील अपीलांटस ने यह भी कथन किया कि उक्त खसरान भूमि अपीलान्ट की खातेदारी है तथा वे अभिलिखित खातेदार है। खसरा संख्या 852 रोड से लगता हुआ आया हुआ है। अपीलान्ट के द्वारा उक्त खसरान भूमि में 1/3 हिस्सा खरीद किया था। मौके पर जहॉ रास्ता चलता है वहॉ कब्जा दे दिया गया। रास्ते सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार करने के दौरान उक्त खसरान भूमि के सहखातेदारों के द्वारा सहमति हस्ताक्षर कर दिये गये। अपीलान्ट की कोई सहमति नहीं दी गई थी। अपीलाधीन आदेश में मात्र दो खसरा संख्या 850, 852 के सम्बन्ध में आदेश पारित कर दिया। अन्य खसरों के सम्बन्ध में खातेदार की सहमति नहीं होने पर किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया। उनको अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा नोटिस दिये बिना ही मनमाने ढंग से उसकी भूमि में से आवागमन हेतु रास्ता दर्ज करने का आदेश दे दिया गया। इसके अतिरिक्त तहसीलदार ओसियॉ के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया था उसमें खिंदाकोर सडक से जसनाथपुरा व एवालकी धोरा तक के लिये ही था परन्तु केवल अपीलार्थी को नुकसान पहुंचाने की नियत से एक खसरे में रास्ता निकालने का आदेश पारित कर दिया व शेष के लिये कार्यवाही समाप्त कर दी।

वकील अपीलांटस ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी की भूमि ख0सं0 852 पर वर्षो से सिंचित काश्त होती रही है, इस पर कोई रास्ता नहीं चलता है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में दिनांक 1.8.2022 को पहले पेशी दिनांक 17.8.2022 नियत की परन्तु इसके पश्चात आज्ञा सूची को काटकर पत्रावली में दिनांक 1.8.2022 को ही केवल अपीलार्थी की भूमि में रास्ता स्थापित करने का आदेश पारित कर दिया। इसके अतिरिक्त पटवारी द्वारा प्रस्तुत खसरा नम्बरान की विवरण सूची में प्रत्येक पृष्ठ पर कांट–छांट कर इबारत को बदला गया है एवं बाद में मनमाना आदेश पारित कर दिया जो निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तमाम कार्यवाही जल्दबाजी करते हुए पूर्ण की गई है जबकि पत्रावली में अन्य पक्ष के नोटिस जारी करने का आदेश हो चुका था तो उससे पूर्व ही पत्रावली को केवल एकमात्र अपीलान्ट के खसरे के लिये ही निर्णित करने का कोई आधार ही नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचारण के दौरान अपने आदेशों को कई बार बदला गया जो आदेशिका के अवलोकन से स्पट प्रकट हो जाता है। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही नियम विरूद्ध की गई है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायलय के द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर ही नियमानुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित होने से बहाल रखा

रेस्पो0 सं0 2 व 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलार्थी ने उपरोक्त अपील के जरिये उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को चुनौती दी है। जिसमें ग्राम जसनाथपुरा के खसरा संख्या 850, 852 में मौके पर स्थाई रूप से चल रहे आम रास्ते को रेकर्ड मे अंकन करने का आदेश पारित किया है, जो उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 उक्त खसरान के सहखातेदार है और ग्राम जसनाथपुरा के स्थाई निवासी है। रेस्पो0 एवं अन्य खातेदार ग्रामीणों द्वारा उक्त खसरान में मौके पर वक्त सेटलमेन्ट से चल रहे स्थाई रास्ता, जिस पर ग्रेवल सडक भी बनी हुई है, को राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करने का निवेदन किया जिस पर पटवारी, भू0अ0निरीक्षक व तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण कर उक्त खसरान में चल रहे स्थाई रास्ते को राजस्व रेकर्ड में अंकन करने हेतु अपनी रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की थी और उसके आधार पर उपरोक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

रेस्पो0 सं0 2 व 3 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश की दिनांक को उक्त खसरान भूमि की खातेदार ही नहीं थी, उसके द्वारा बाद में भूमि खरीदी गई है और खातेदारी भूमि में मौके पर चले रहे रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है और उक्त रास्ते का प्रार्थीगण/रेस्पो0 व उनके परिजन सहित ग्रामीणों के उपोग में लिया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेन्ट आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें सुना जाना आवश्यक है क्योंकि प्रार्थीगण/रेस्पो0 के हित व अधिकार वादग्रस्त भूमि से सीधे रूप से जुडे हुए है। इन आधारों पर प्रार्थीगण/रेस्पो0 को प्रस्तुत अपील की जानकारी होने पर उनके द्वारा पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र किया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील अस्वीकार करने योग्य है अतः अस्वीकार की जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश दिनांक 01.08.2022 इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 852, 850 की रकबा भूमि के अधिकतर काश्तकारों के द्वारा रास्ता प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त पटवारी, हल्का थोब व तहसीलदार, ओसियॉ के द्वारा भी खसरान भूमि में मौके पर रास्ता चलना/कदीमी रास्ता होना प्रतिप्रेदित किया गया है। पटवारी व भू0अ0निरीक्षक थोब, तहसील ओसियॉ के द्वारा प्रस्तुत वस्तुस्थिति रिपोर्ट अनुसार ख0सं0 852 में श्रीमती ढगली पत्नी हरीराम के द्वारा क्रमश दिनांक 5.4.2022 व दिनांक 17.05.2022 को कुछ हिस्सा भूमि की खरीद की गई है जबकि खसरा संख्या 852 में रास्ता दर्ज किये जाने हेतु दिनांक 20.11.2021 को प्रकरण दर्ज करवाया गया है, उस समय तक खसरा संख्या 852 में श्रीमती ढगली पत्नी हरीराम का नाम दर्ज नहीं हो रखा था। तहसील कार्यालय की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 852 व 850 में मौके पर रास्ता चल रहा है व कहीं–कहीं पुराना ग्रेवल डला हुआ है। इस प्रकार हमारे विनम्र मत में समस्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश

दिनांक 1.8.2022 में किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं पाते है जिसके आधार पर उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जावे।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन/विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.08.2022 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 30 सितम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर